## 5.2 कुटीर उद्योग का आशय

ऐसे उद्योगों से है जो पूर्णतया या मुख्यतया परिवार के सदस्यों की सहायता से पूर्णकाल या अंशकाल व्यवसाय के रूप में चलाया जाता है । लघु एवं कुटीर उद्योग के पृथक्-पृथक् वर्गीकरण का आधार यह है कि

(1) कुटीर उद्योगों में हस्त प्रक्रियाओं (Manual Process) की प्रधानता रहती है, जबकि लघु उद्योगों के लिए यह आवश्यक नहीं है ।

(2) कुटीर उद्योगों में प्राय: परम्परागत विधियों से परम्परागत वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और प्राय: स्थानीय बाजार की माँग की पूर्ति की जाती है, जबकि लघु उद्योगों में यान्त्रिक प्रक्रियाओं द्वारा अपेक्षाकृत व्यापार बाजार की माँग की पूर्ति की जाती है ।

(3) कुटीर उद्योगों में मजदूरी या वेतन पर कम व्यक्ति लगाये जाते हैं और अधिकतम कार्य परिवार के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है, जबकि लघु उद्योगों में मजदूरी या वेतन पर पर्याप्त व्यक्ति लगाये जाते हैं।

कुटीर उद्योगों को भी दो भागों में बाँटा जा सकता है--ग्रामीण कुटीर उद्योग तथा शहरी कुटीर उद्योग। ग्रामीण कुटीर उद्योग भी दो श्रेणियों में उपविभाजित किये जा सकते हैं–कृषि के सहायक ग्रामीण कुटीर उद्योग तथा ग्रामीण कौशल से सम्बन्धित कुटीर उद्योग। कृषि में सहायक ग्रामीण कुटीर उद्योगों में वे उद्योग शामिल किये जाते हैं जो कृषकों द्वारा सहायक धन्धों के रूप में चलाये जाते हैं, जैसे मुर्गी पालन, करघों पर बुनाई, गाय-भैंस पालना, टोकरियाँ बनाना, रेशम के कीड़े पालना इत्यादि। ग्रामीण कौशल कुटीर उद्योगों में ग्राम हस्त-कौशल के धन्धे आते हैं, जैसे घानी से तेल निकालना, मिट्टी के बर्तन बनाना, चमड़े का उद्योग इत्यादि। शहरी कुटीर उद्योगों में हस्तकरघा उद्योग, खिलौने बनाना, कपड़ों पर कढ़ाई करना इत्यादि शामिल किया जाता है ।

## 5.3 भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योगों का महत्व

महात्मा गाँधी ने कुटीर एवं लघु उद्योगों के महत्व के बारे में कहा था कि, "भारत का मोक्ष उसके कुटीर उद्योग-धन्धों में निहित है।" वास्तव में भारत जैसे विशाल विकासशील राष्ट्र में, जहाँ पूँजी का अभाव और

बेरोजगारी का साम्राज्य है, कुटीर एवं लघु उद्योग आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी पहलुओं से देश के औद्योगिक विकास की आधारशिला है। भारतीय योजना आयोग ने भी लिखा है । कि "कुटीर एवं लघु उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग है, जिनकी कभी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती ।"

भारत में लघु एवं कुटीर उद्योगों के महत्व को निम्नलिखित तथ्यों से समझा जा सकता है

**(1) रोजगार में वृद्धि** (Increase in employment) : कुटीर एवं लघु उद्योगों में रोजगार में वृद्धि की जा सकती है। चूँकि यह उद्योग श्रम-प्रधान उद्योग है इसलिए इसमे कम पूँजी का विनियोग कर अधिक रोजगार बढ़ाया जा सकता है ।

**(2) राष्ट्रीय आय का अधिक समान वितरण** (More euitable distribution of national income)—लघु एवं कुटीर उद्योगों का स्वामित्व देश के अधिक लोगों के हाथ में होने से आर्थिक शक्ति का केन्द्रीकरण नहीं होता । अत: अधिक लोगों का स्वामित्व होने से आय का समान वितरण भी होता है ।

**(3) भारतीय ग्रामीण व्यवस्था के अनुकूल** (Appropriate to Indian rurla life) : भारत में अधिकांश लोग गाँव में रहते हैं । यहाँ 70 प्रतिशत लोग खेती करते हैं । परन्तु उन्हें पूरे वर्ष रोजगार नहीं मिला है। अत: कुटीर एवं लघु उद्योग उनके लिए उपयुक्त है। इन उद्योगों में काम करके अपना भरण-पोषण किया जा सकता है ।

**(4) औद्योगक विकेन्द्रीकरण** (Industrial decentralisation)—लघु उद्योगों से देश में उद्योगों के विकेन्द्रीकरण में सहायता मिलती है। विशाल-स्तरीय उद्योग केवल कुछ स्थानों में ही स्थापित हो पाते हैं क्योंकि उनके लिए कुछ विशेष परिस्थितियों और सुविधाओं की आवश्यकता होती है। परन्तु लघु और कुटरी उद्योग गाँवों में भी स्थापित किये जा सकते है। इससे निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं :

(a) स्थानीय प्रतिभा एवं स्थानीय साधनों का उचित उपयोग हो सकता है, (b) औद्योगिक नगरों में पायी जाने वाली भीड या जन संकुलता (Congestaiton) की समस्या का समाधान होगा. (c) राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से यह लाभदायक होगा, तथा (d) प्रादेशिक असमानताएँ कम होंगी ।

**(5) कृषि पर जनसंख्या का भार कम करना** (To reduce dependence of population on agriculture) : भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि पर जनसंख्या का भार बढ़ता जा रहा है । भारत में कृषि पर प्रतिवर्ष लगभग 30 लाख लोग आश्रत हो जाते हैं । इस भार को कम करने के लिए लघु एव कुटीर उद्योग काफी उपयोगी है ।

**(6) कलात्मक वस्तुओं का निर्माण** (Production of artistic goods) : भारतीय लघु एवं कुटीर उद्योग कलात्मक वस्तुओं का भी उत्पादन करता है । इन वस्तुओं का निर्यात करने से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है ।

अत: विदेशी मुद्रा प्राप्ति के लिए लघु एवं कुटीर उद्योग का स्थान महतवपूर्ण है ।

**( 7 ) देश की आर्थिक संरचना के अनुकूल** (Appropriate of economic structure of the country) : भारत में जनसंख्या की अधिकता है, परन्तु पूँजी का अभाव है। अत: यहाँ कम पूँजी लगाकर लघु एवं कुटीर उद्योग को चलाया जा सकता है। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि बडे और छोटे सभी फैक्ट्री क्षेत्र के रोजगार का 36 प्रतिशत और कुल उत्पादन का 27 प्रतिशत भाग लघु ओर कुटीर उद्योग ही प्रदान करता है ।

**( 8 ) तकनीकी ज्ञान की कम आवश्यकता** (Less need of technical knowledge and skill)— भारत में तकनीकी ज्ञान की भी अभाव है। लघु एवं कुटीर उद्योग मे कम तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। अत: तकनीकी ज्ञान की दृष्टि से भी लघु एवं कुटीर उद्योग का भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान हैं ।

**( 9 ) शीघ्र उत्पादक उद्योग** (Quick yielding industries) : लघु एवं कुटीर उद्योग में विनियोग करने के बाद तुरन्त ही उत्पादन शुरू हो जाता है। भारत जैसे विशाल देश में मुद्रा प्रसारिक प्रवृतियों को नियन्त्रित करने और जीवन स्तर ऊँचा करने की दृष्टि से ऐसे शीघ्र उत्पादक उद्योग काफी महत्वपूर्ण हो है ।

**( 10 ) आयात पर कम निर्भरता** (Less dependecne on imports) : स्थनीय साधन एवं तकनीक पर निर्भर रहने के काण लघु एवं कुटीर उद्योग को आयात एवं विदेशी मुद्रा की कम आवश्यकता पड़ती है ।

**( 11 ) निर्यात में सहायक :** पिछले कुछ वर्षों में देश के निर्यातर में भी लघु एव कुटीर उद्योगों का योगदान पर निर्भर रहने के काण लघु एवं कुटीर उद्योग को आयात एवं विदेशी मुद्रा की कम आवश्यकता पड़ती है ।

सन 1956 की औद्योगिक नीति में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 'ये (लघु एवं कुटीर उद्योग) बड़े पैमाने पर तत्काल काम प्रदान करते हैं, राष्ट्रीय आय के अपेक्षाकृत अधिक न्यायपूर्ण वितरण का आश्वासन देते हैं और पूँजी तथा कुशलता के साधनों को प्रभावशाली ढंग से गति देते हैं ।"